न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), पीलीभीत।

मूलवाद सं0–427/2022

राहुल कपूर **बनाम** विक्रम कपूर आदि

दिनांकः 23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष को कमीशन रिपोर्ट पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अमीन कमीशन रिपोर्ट कागज सं0–29ग/1 ता 29ग/2 मय नक्शा–स्केली कागज सं0–29ग/3 पत्रावली संलग्न है।

वादी की ओर से अमीन कमीशन के विरूद्ध आपत्ति कागज सं0–30ग दाखिल कर कथन किया गया है कि अमीन अदालत जिनके द्वारा कमीशन आख्या दाखिल की गयी है, प्रशिक्षित अमीन नहीं है, इसलिए न तो नक्शा सही बना है और न ही विवादित जगह की जो माप दी गयी है, विधिनुसार संगणित किया गया है। अस्तु कमीशन आख्या कतई गलत है। वसीयतकर्ता द्वारा अपनी सम्पत्ति की पूरी माप कराने के बाद ही वसीयत की गयी, जो उनके द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति का सम्पूर्ण क्षेत्रफल है, जिनमें से अलग–अलग क्षेत्रफल वसीयत द्वारा दिया गया है। वसीयत वादी द्वारा करायी गयी है, उसका कुल प्लाट क्षेत्रफल 97.25 सी.मी. है, जो प्रशिक्षित आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है और जांच के बाद विनियमित अधिकारी द्वारा अपने प्रशिक्षित अभियंता से जांच कराने के बाद पास किया गया है, जिसके आधार पर तामीरात की गयी है। अमीन की आख्या ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय विकास की सड़क व खरंजा का क्षेत्रफल भी विधि विरूद्ध माप के शामिल कर लिया गया है। वादी के व्यय पर लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षित अभियंता को कमीश्नर नियुक्त कर पुनः आख्या वांछित बिन्दुओं पर मंगाया जाना आवश्यक है। अमीन आख्या विधिनुसार न होने के कारण अस्वीकार होने योग्य है।

उक्त आपत्ति के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से प्रति आपत्ति कागज सं0–32ग दाखिल कर कथन किया गया है कि अमीन आख्या में अमीन महोदय द्वारा दोनों मकान के स्पष्ट व अलग–अलग सीमाएं एवं नापें अंकित की गयी है, जिसमें कोई विरोधाभाष नहीं है। वादी पक्ष द्वारा अपनी मद सं0–4 में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षित अभियंता को कमीश्नर नियुक्त करने हेतु कहा गया है, जो कतई गलत है। प्रश्नगत सम्पत्ति न तो सार्वजनिक है और न ही सरकारी सम्पत्ति है, जिसका सीमांकन व मूल्यांकन व नापकूत लोक निर्माण विभाग कराया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अमीन आख्या साक्ष्य के अधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित है कि कमीशन रिपोर्ट कागज सं0–29ग/1 ता 29ग/2 मय नक्शा–स्केली कागज सं0–29ग/3 पत्रावली पर संलग्न है। वादी द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गयी है कि अमीन अदालत जिनके द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है प्रशिक्षित अमीन नहीं है, इसलिए उनके द्वारा नक्शा सही नहीं बनाया गया है और न ही विधिनुसार विवादित जगह की माप की गयी है। यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र कागज सं0–25ग प्रस्तुत कर अमीन अदालत से प्रश्नगत सम्पत्ति का कमीशन सम्पादित कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। अमीन अदालत द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की जो माप दर्शायी गयी है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि माप किस प्रकार से गलत है। यदि वादी के अनुसार अमीन रिपोर्ट में माप के सम्बन्ध में कोई त्रुटि है, तो वह इस सम्बन्ध में स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में कमीशन रिपोर्ट कागज सं0–29ग/1 ता 29ग/2 मय नक्शा–स्केली कागज सं0–29ग/9 साक्ष्य के अधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः कमीशन आख्या कागज सं0–29ग/1 ता 29ग/2 मय नक्शा–स्केली कागज सं0–29ग/9 साक्ष्य के अधीन पुष्ट की जाती है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0–6ग हेतु दिनांक 13.08.2024 को पेश हो।

(नेहा गंगवार)
सिविल जज (सी0डि0)
पीलीभीत।

Digitally signed by NEHA GANGWAR
Date: 2024.07.23 17:45:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court